



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेड़ी पुलिस टीम द्वारा बाद पुलिस मुठभेड हत्या व पुलिस टीम पर फायरिंग करने के मुकदमें में वांछित 50-50 हजार रुपये के 02 ईनामी अभियुक्त घायलावस्था में गिरफ्तार, कब्जे से 02 तमंचे 315 बोर, 05 जिन्दा/07 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में चोरी/लूट/हत्या/नकबजनी/डकैती आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल वांछित शातिर आपराधियों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार संघन चैकिंग/गश्त की जा रही है। दिनांक 07/08.07.2025 की रात्रि को थाना प्रभारी गागलहेड़ी मय पुलिस टीम के साथ हरौड़ा कट हाईवे से यमुनानगर की तरफ जाने वाले रास्ते पर चैकिंग/गस्त कर रहे थे। करीब 01 किमी आगे चलकर जहाँ डिवाडर के बीच सूचनात्मक साईन बोर्ड लगा है, हाईवे पर बाई तरफ दो संदिग्ध व्यक्ति खड़े दिखायी दिये। पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख दोनो संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करते हुए कच्चे रास्ते पर भागने लगे, पुलिस टीम द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया। बदमाशों द्वारा पुलिस टीम पर पुनः जान से मारने की नियत से फायरिंग कर जंगल की तरफ भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में दोनो बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार दोनों बदमाशों की पहचान **1. प्रमोद उर्फ रामकरण पुत्र तरसेन निवासी ग्राम व थाना राजौन्द जनपद कैथल (हरियाणा) व 2. सोमवीर उर्फ मोनू पुत्र रणधीर निवासी ग्राम व थाना राजौन्द जनपद कैथल (हरियाणा) के रूप में हुई।** घायल बदमाशों को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार/घायल अभियुक्त प्रमोद उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 03 जिन्दा/02 खोखा कारतूस 3.15 बोर व अभियुक्त सोमवीर उपरोक्त के कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिन्दा/05 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगण शातिर किस्म के अभ्यस्त अपराधी है। गिरफ्तार/घायल दोनो बदमाश थाना गागलहेड़ी पर पंजीकृत मु0अ0सं0 002/2025 धारा 191(2)/191(3)/ 109/103(1)/332(सी)/61 बीएनएस व मु0अ0सं0 124/2025 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट के वांछित अभियुक्त है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पकड़े गये अभियुक्त प्रमोद उर्फ रामकरण राणा पुत्र तरसेम सिंह नि0 राजौन्द थाना राजौन्द जिला कैथल हरियाणा ने बताया कि मैं तथा मृतक सुरेश उर्फ काका एक ही गांव राजौन्द के रहने वाले है तथा हम दोनो मिलकर उत्तर प्रदेश , हरियाणा में प्रोपर्टी डिलिंग का कार्य करते थे। कुछ समय पश्चात मृतक सुरेश उर्फ काका अपने परिवार के साथ गागलहेड़ी में निवास करने लगा था। इसके बाद सुरेश उर्फ काका द्वारा अपनी जमीन को मुझे खरीदने के लिये कहा गया था तो मेरे द्वारा उसकी लगभग साढे तीन बीघा जमीन खरीदना तय किया था जिसमे मेरे द्वारा मृतक सुरेश उर्फ काका को बयाने के तौर पर समय समय पर 45 लाख रुपये दे दिये गये थे। जब मेरे द्वारा उपरोक्त जमीन को मेरे नाम पर बैनामा करने के लिये कई बार कहा गया तो वो आनाकानी करता रहा उसने न तो जमीन मेरे नाम की और न ही मेरे 45 लाख रुपये वापिस किये। इसी बात को लेकर आपस में धीरे धीरे हमारी

दोस्ती में दरार आती चली गयी ओर हम एक दुसरे के दुश्मन बन गये । इसी कारण मैंने सुरेश को सबक सिखाने के लिये उसकी हक्या की योजना बनायी । मेरे द्वारा सुरेश उर्फ काका को मारने के लिये सोमवीर उर्फ मोनू व विकास उर्फ विककी को शामिल कर भाडे पर दो शूटर 1. अरमान उर्फ दीपू उर्फ सिप्पी पुत्र जगसीर सिंह निवासी ग्राम सालीवाला चोड चोटाला थाना डबवाली सदर जिला सिरसा हरियाणा हाल पता फ्लैट नं0-16 नरेन्द्र फोम्स ग्राम रतनपुरा थाना संगरिया जिला हनुमानगढ राजस्थान 2. बूटा सिंह उर्फ गड्डू पुत्र अमृतपाल सिंह निवासी खेमूयाना थाना निहानवाला जिला भटिडा पंजाब को 10 लाख रुपये देना तथा शूटर अरमान उर्फ सिप्पी व बूटा सिंह उर्फ गड्डू के उपर पूर्व में चल रहे मुकदमो की पैरवी करने के लिये सौदा किया । फिर हम पांचो ने योजना के तहत सुरेश उर्फ काका की हत्या करने की योजना बनायी । योजना के तहत मैं घटना से 03-04 दिन पहले मलेशिया चला गया था । योजना बद्ध तरीके से दिनांक 02.01.25 को शाम के समय घर में घुसकर सुरेश उर्फ काका की हत्या कर दी । जिसमे थाना गागलहेडी पुलिस ने पूर्व मे हमारे एक साथी विकास उर्फ विककी पुत्र प्रदीप नि0 ग्राम राजौन्द थाना राजौन्द जिला कैथल हरियाणा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था । कल दिनांक 07.07.2025 को मैं तथा सोमवीर उर्फ मोनू, अरमान उर्फ सिप्पी मुकदमे की वादिया व उनके परिवारजन पर फैसले के लिये दबाव बनाने आ रहे थे कि रास्ते मे आप लोगो ने हमारे साथी अरमान उर्फ सिप्पी को पकड लिया था तथा हम अंधेरे व जंगल का फायदा उठाकर भाग गये थे । दिन में पकडे जाने के डर से हम दिनभर खेतो में छिपे रहे जैसे ही अंधेरा हुआ तो हम लोग वापस हरियाणा जाने के लिये हाईवे पर खडे होकर हरियाणा की तरफ जाने वाले वाहनो को हाथ देकर रोकने का प्रयास कर रहे थे कि तभी पुलिस ने हमे पकड लिया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. प्रमोद उर्फ रामकरण राणा पुत्र तरसैम सिंह निवासी राजौन्द थाना राजौन्द जिला कैथल हरियाणा
2. सोमवीर उर्फ मोनू पुत्र रणधीर निवासी ग्राम राजौन्द थाना राजौन्द जिला कैथल हरियाणा

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगी का विवरण-

- 02 तंमचे .315 बोर
- 07 खोखा कारतूस / 05 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद उर्फ रामकरण का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 002/25 धारा 191(2),191(3),109,103(1) 332(सी) 61 बीएनएस चालानी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुरा
2. मु0अ0स0 124/25 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 125/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
4. मु0अ0स0 234/1998 धारा 148/149/323/324/326/452/506 भादवि चालानी थाना राजौन्द जिला कैथल हरियाणा
5. मु0अ0स0 192/2003 धारा 148/149/332/352/186/506/148/149 भादवि चालानी थाना राजौन्द जिला कैथल हरियाणा

6. मु0अ0स0 428/2004 धारा 399/402 भादवि चालानी थाना राजोन्द जिला कैथल हरियाणा
7. मु0अ0स0 146/2007 धारा 148/149/323/241/506 भादवि चालानी थाना राजोन्द जिला कैथल हरियाणा
8. मु0अ0स0 143/2013 धारा 148/149/186/225/332/353/342/356/506 भादवि चालानी थाना राजोन्द जिला कैथल हरियाणा

गिरफ्तार अभियुक्त सोमवीर उर्फ मोनू का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 002/25 धारा 191(2),191(3),109,103(1) 332(सी) 61 बीएनएस चालानी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 124/25 धारा 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
3. मु0अ0स0 125/25 धारा 109(1) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट चालानी थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष विनोद कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
2. उ0नि0 श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर ।
3. उ0नि0 सौरभ यादव थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 831 सोनू ढाका थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर।
5. है0का0 80 सोनू शर्मा सर्विलांस सैल सहारनपुर।
6. है0का0 255 मोहित सर्विलांस सैल सहारनपुर
7. है0का0 648 आकाश नेहरा सर्विलांस सैल सहारनपुर
8. है0का0 342 आशीष थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
9. है0का0 24 सुनील तोमर थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
10. है0का0 810 राहुल चौहान थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर
11. का0 1551 अमित कुमार थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
12. का0 171 जयवीर राठी सर्विलांस सैल सहारनपुर
13. का0 2414 रंजीत थाना गागलहेडी जिला सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक- 08.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मारपीट के मुकदमें में वांछित 04 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 07.07.2025 वादी श्री अवीनाश राणा पुत्र सुरेन्द्र राणा निवासी ग्राम मण्डोरा थाना बेहट जिला सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण अनस आदि 05 व अन्य अज्ञात द्वारा वादी के साथ मारपीट कर चोट पहुँचाने की सूचना के संबंध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 140/25 धारा 191(2)/115(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान मारपीट का घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2025 को थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्तगण 1. अनस पुत्र रियासत 2. मुन्ना पुत्र झालू उर्फ वहीद 3. आसिफ पुत्र फुरकान 4. सादाब पुत्र बाबू उर्फ मोहसिन समस्त निवासीगण ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर को मेन बाजार ब्लाक मुजफ्फराबाद के सामने से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण उपरोक्त ने एक स्वर में बताया कि हमारी ग्राम मण्डोरा के रहने वाले अवीनाश से किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गयी थी। जिससे क्रोधित होकर हम सभी के द्वारा अवीनाश के साथ मारपीट की गयी थी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. अनस पुत्र रियासत निवासीगण ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
2. मुन्ना पुत्र झालू उर्फ वहीद निवासीगण ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. आसिफ पुत्र फुरकान निवासीगण ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
4. सादाब पुत्र बाबू उर्फ मोहसिन निवासीगण ग्राम मुजफ्फराबाद थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री सुनील यादव थाना फतेहपुर सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री सजल कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर
4. हैड का0 272 जोगेन्द्र मलिक थाना फतेहपुर सहारनपुर
5. का0 811 दीपक कुमार थाना फतेहपुर सहारनपुर



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना फतेहपुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मात्र 24 घंटे में मोबाईल छिनैती की घटना का
सफल अनावरण करते हुए 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 मोबाईल फोन व घटना में
प्रयुक्त 01 मोटर साईकिल बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.07.2025 को वादी श्री अमित कुमार पुत्र श्री रविन्द्र सैनी निवासी कमालपुर रोड कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत मोटरसाईकिल रजि0 नं0 UK07FM5169 के चालक नाम पता अज्ञात द्वारा वादी का मोबाईल छीनकर भागने के सम्बन्ध में थाना फतेहपुर पर मु0अ0सं0 141/25 धारा 304(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर मोबाईल छिनैती की घटना करने वाले अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी व छीने गये मोबाईल की बरामदगी हेतु दिशा निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना फतेहपुर पुलिस टीम द्वारा गस्त/चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त **मौ0 शावेज पुत्र मौ0 शहजाद नि0 गली नं0 7 हरिजन कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर** को रूड़की रोड से ग्राम रजापुर की ओर जाने वाले रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से मुकदमा उपरोक्त से संबंधित छीना गया मोबाईल फोन व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाईकिल बरामद हुई। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ व बेराजगार हूँ। अक्सर मुझे पैसो की कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिये मैंने दिनांक 07.07.2025 को कस्बा छुटमलपुर से कमालपुर रोड जाने वाली रोड पर एक व्यक्ति जो मोबाईल पर बात करते हुए जा रहा था तो मैंने पीछे से उसके हाथ से मोबाईल छीन लिया था और मोटरसाईकिल से भाग गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

मौ0 शावेज पुत्र मौ0 शहजाद निवासी गली नं0 7 हरिजन कालोनी कस्बा छुटमलपुर थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 01 मोबाईल फोन (वीवो कम्पनी का)
- 01 मोटर साईकिल पेंशन प्लस रजि0नं0 UK07FM5169(घटना में प्रयुक्त)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री सचिन पूनिया थाना फतेहपुर जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री शुभम चौधरी थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री अनिल तेवतिया थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर

4. हैड का0 532 ऋषिपाल सिंह थाना फतेहपुर जनपद सहारनपुर



दिनांक: 08.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा मदाक पदार्थ की तस्करी करने वाला 01 शातिर
नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 07 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी/बिक्री की रोकथाम व नशे के कारोबार में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु लगातार अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा दिनांक 08.07.2025 को गस्ता/चैकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर 01 शातिर नशा तस्कर **अभियुक्त यासमीन उर्फ नगीना पत्नी शफीक निवासी एकता कालौनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर** को भट्टे के सामने कच्चे रास्ता के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 07 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 204/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ पर करने पर अभियुक्त उपरोक्त ने बताया कि यह स्मैक एक व्यक्ति से खरीद कर लाती हूँ, जिसे जगह जगह राह चलते लोगो को बेचती हूँ। जिससे मुझे अच्छी खासी आमदनी हो जाती है और आज पुलिस ने मुझे भट्टे के सामने कच्चे रास्ते से पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-


यासमीन उर्फ नगीना पत्नी शफीक निवासी एकता कालौनी थाना कुतुबशेर सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 07 ग्राम अवैध स्मैक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नाम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री जयवीर सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. है0का0 31 सुभाषचन्द थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
5. म0है0का0 630 सुमन शर्मा थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।



-प्रेस नोट-

दिनांक: 08-07-2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं इसमें सलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार गश्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री जावेद खान के कुशल नेतृत्व में दिनांक 08.07.2025 को थाना बिहारीगढ पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त **उस्मान पुत्र सलीम निवासी ग्राम बादशहापुर थाना बिहारगीढ जनपद सहारनपुर** को माउटेन ग्रीन वैली प्लाटिंग के रास्ते के पास से गिरफ्तार किया गया। कब्जे से 10 ग्राम अवैध स्मैक बरामद। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना बिहारीगढ पर मु0अ0स0 65/2025 धारा 8/21 NDPS ACT पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

पूछताछ करने पर अभियुक्त उस्मान उपरोक्त ने पर बताया कि मैं कम पढा लिखा हूँ, उत्तराखण्ड से सस्ते दाम में स्मैक लेकर आता हूँ एवं आस पास के क्षेत्र में स्मैक पीने वालो लोगो को बेच देता हूँ जिससे मुझे कमाई हो जाती है व मेरे खर्चे के का काम चल जाता है।

गिरफ्तार अभियुक्तका नाम व पता:-

उस्मान पुत्र सलीम निवासी ग्राम बादशहापुर थाना बिहारगीढ जनपद सहारनपुर

अभियुक्त उस्मान का आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0स0 20/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
2. मु0अ0स0 35/25 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
3. मु0अ0स0 65/2025 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण:-

➤ 10 ग्राम अवैध स्मैक।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. उ0नि0 श्री अय्यूब अली थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री अभिषेक कुशवाहा थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
3. का0 2379 पुनीत कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।
4. का0 2376 देवेन्द्र कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर।



दिनांक: 08.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा दहेज हत्या के मुकदमें में वांछित अभियुक्त व अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 30.01.2025 को वादी श्री सुशील कुमार पुत्र भगवान दत्त शर्मा निवासी ग्राम नौजल थाना थाना भवन जिला शामली की लिखित तहरीर बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादी की पुत्री को अतिरिक्त दहेज लाने के लिये तंग व परेशान करना तथा मारपीट करना जिससे वादी की पुत्री की मृत्यु हो जाने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0स0 32/2025 धारा 85,80(2),115(2) बीएनएस व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम बनाम ललित उर्फ आशू आदि पंजीकृत किया गया।


वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, महिलाओं के विरुद्ध होने वाली आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में दिनांक 07.08.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 1. मुकेश उर्फ विपिन कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम कन्जौली थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर व अभियुक्ता 2. अमन पत्नी मुकेश निवासी रामपाल निवासी ग्राम कन्जौली थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर को ग्राम कन्जौली के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. मुकेश उर्फ विपिन कुमार पुत्र रामपाल निवासी ग्राम कन्जौली थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।
2. श्रीमती अमन पत्नी मुकेश उर्फ मुकेश निवासी ग्राम कन्जौली थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आशीष चौधरी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
2. म0उ0नि0 नेहा चौधरी थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर
3. का0 95 विक्रान्त सरोहा थाना रामपुर मनिहारान जनपद सहारनपुर



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश थाना सदर बाजार, सहारनपुर पुलिस द्वारा 02 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी व अपराध की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री रोजन्त त्यागी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2025 को थाना सदर बाजार पुलिस टीम द्वारा दबिश के दौरान 02 वारंटी अभियुक्तगण **1. सुनील कुमार पुत्र बुगला सिंह निवासी मोहम्मदपुर माफी शाकुम्भरी विहार कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** को सम्बन्धित मु0अ0सं0 1137/24 धारा 323,384,504,506 भादवि परितोष सरकार वनाम दीपमाला तारिख 08.07.2025 निर्गत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय सहारनपुर, व **2. नितिन पुत्र विजय निवासी काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर** से सम्बन्धित एससी 2449/2021 धारा 398,401 भादवि केस न0 449/21 राज्य बनाम साहिल उर्फ सलमान एडीजे स्पेशल जज पोस्को केस नं0 14 सहारनपुर को अभियुक्तों के घर से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

1. सुनील कुमार पुत्र बुगला सिंह निवासी मोहम्मदपुर माफी शाकुम्भरी विहार कालोनी थाना सदर बाजार सहारनपुर
2. नितिन पुत्र विजय निवासी काशीराम कालोनी थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
3. का0 2011 अजय तोमर थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. का0 1340 पुष्पेन्द्र थाना सदर बाजार सहारनपुर।
5. है0का0 587 प्रदीप थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर
6. का0 1837 सचिन थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर



दिनांक 08.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बिहारीगढ़ पुलिस द्वारा 02 शातिर वाहन चोर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशांदाही पर चोरी की 05 मोटरसाइकिल व तीन फर्जी नम्बर प्लेट बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 07.07.2025 को वादी श्री दिनेश कुमार पुत्र केहर सिंह निवासी सतपुरा थाना बिहारीगढ़ की लिखित तहरीर बाबत अज्ञात चोर द्वारा वादी की TVS मोटरसाइकिल नं0 UP11AS-4834 को चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर मु0अ0सं0 64/2025 धारा 303(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त मोटरसाइकिल चोरी की घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में शामिल अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी व चोरी की गयी मोटरसाइकिल की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री जावेद खान के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा गस्त/ चैकिंग के दौरान 02 शातिर वाहन चोर/अभियुक्तगण 1. सागर पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जिला सहारनपुर, 2. मोहसीन पुत्र असगर निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जिला सहारनपुर को ग्राम सतपुरा के बाहर ईदगाह के पास से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे/निशांदाही से चोरी की 05 मोटरसाइकिले बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(2)/317(5)/318(4)/336(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पृछताछ:- पृछताछ करने पर गिरफ्तार अभियुक्तगण ने बताया कि हम दोनों गाँव झबीरन, सरसावा के रहने वाले हैं। हमें दोनो नशा करने के आदि हैं। अपने नशे की लत को पूरा करने के लिये हम दोनो मोटर साइकिल चोरी कर सस्ते दाम में बेच देते हैं जिससे हमें अच्छा मुनाफा हो जाता है। पुलिस ने जो हमसे मोटरसाइकिल बरामद की है वो हमने सहारनपुर घन्टाघर चौक के आस पास से व थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में सुन्दरपुर से चोरी की है। चोरी की गयी मोटरसाइकिल को छिपा कर पटाखा फैक्ट्री वाली रोड पर बंद पड़े क्रेशर में रख देते थे। पुलिस से बचने के लिये हम चोरी की गयी मोटरसाइकिल पर फर्जी नम्बर प्लेट लगा देते थे। आज जब चोरी की गयी मोटरसाइकिल को बेचने जा रहे थे तो पुलिस ने हमें पकड़ लिया। हमने छुपा कर रखी गयी चोरी की 03 मोटरसाइकिल को पुलिस को बरामद करा दिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता -

1. सागर पुत्र उदयवीर निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जिला सहारनपुर।
2. मोहसीन पुत्र असगर निवासी ग्राम झबीरन थाना सरसावा जिला सहारनपुर।


बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 05 मोटरसाइकिल।
- 03 फर्जी नम्बर प्लेट।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विनीत चौधरी थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री देवेश कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।
3. उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बिहारीगढ़ जनपद सहारनपुर।

4. है0का0 858 अजीत कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।
5. का0 2071 इस्लाम थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।
6. का0 1873 विक्रान्त कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।
7. का0 2542 राहुल कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।
8. का0 1377 रवि कुमार थाना बिहारीगढ जनपद सहारनपुर ।



दिनांक: 08.07.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश
थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारंटी को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक देहात एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण में तथा थाना प्रभारी श्री धर्मेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2025 को थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वारण्टी **अभियुक्त पुनीत पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जनपद सहारनपुर** को संबंधित वाद संख्या 864/22 मु0अ0सं0 320/20 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम थाना नानौता सहारनपुर माननीय न्यायालय एसीजे(जेडी)/जेएम देवबंद सहारनपुर चालानी थाना नानौता सहारनपुर को ग्राम कचराई मैन रोड थाना नानौता से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व पता –

पुनीत पुत्र मोहर सिंह निवासी ग्राम गुडम्ब थाना नानौता जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी –

1. थानाध्यक्ष श्री धर्मेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री कृष्णवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर
4. उ0नि0 श्री जोगेन्द्र सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर



दिनांक - 08.07.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना जनकपुरी, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 एनबीडब्ल्यू वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम एवं वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री संजीव कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 08.07.2025 को थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा दबिश के दौरान वारण्टी अभियुक्त **इन्तेखाब पुत्र लतीफ निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर हाल निवासी सडक दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर** सम्बन्धित वाद सं0 66/2016, मु0अ0स0 248/2015 धारा 452/354(ए)/323/506 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट चालानी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

इन्तेखाब पुत्र लतीफ निवासी ग्राम कैलाशपुर थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर हाल निवासी सडक दूधली थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम:-

1. उ0नि0 श्री विजय सिंह थाना जनकपुरी सहारनपुर।
2. है0कां0 976 रविन्द्र थाना जनकपुरी सहारनपुर
3. कां0 2025 रोहित सैन थाना जनकपुरी सहारनपुर

